| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज<br><br>**डी.आर. मेघवाल बनाम लो.सू.अ. ( अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर )**<br><br>सू.अ.अ. अपील संख्या 115/2022 | नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 08-06-2022 | अपीलार्थी डी.आर. मेघवाल पुत्र प्रेमाराम, पता गांव सरेचा बस स्टेण्ड के पास, तहसील लूणी जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 28.02.2022 में (1) प्रार्थी द्वारा दिनांक 10.12.2021 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान जारी पट्टों के माप चौक को लेकर भौतिक सत्यापन कराने जिसे पंचायत शाखा में वास्ते कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया, जिस पर हुई कार्यवाही की सम्पूर्ण पत्रावली व अन्य बिन्दु, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी ( जिला कलक्टर जोधपुर कार्यालय ) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।<br>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।<br>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर ) से जरिये पत्रांक 679 दिनांक 24.05.2022 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी के आवेदन पत्र में वर्णित इस कार्यालय से संबंधित न होकर जिला परिषद जोधपुर से संबंधित होने के कारण अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जोधपुर को कार्यालय के पत्रांक 249 दिनांक 10.03.2022 द्वारा अनरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया तथा प्रार्थी को भी पत्र पृष्ठांकित किया गया।<br>चूंकि लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी द्वारा चाही जा रही सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ज़िला परिषद जोधपुर कार्यालय से संबंधित होने से प्राथ्रना पत्र विधिक प्रकिया के तहत उन्हें अन्त[illegible] जा चुका है तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद [illegible] तो उसके विरूद्ध प्रथम अपीलीय अधिकारी प्रमुख, जिला परिषद जोधपुर है, न कि जिला कलक्टर जोधपुर। अतः अपील पोषणीय नहीं होने [illegible]रस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Himanshu Gupta
Date: 2023.08.24 18:19:14 IST
Reason: SelfAttested